न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

संख्या : 18/189

चन्द्रकंवर धर्म पत्नी देवी सिंह आयु 48 वर्ष जाति राजपूत निवासी –डॉ0 शुक्ला के मकान के पास, डी.सी.एम. क्षेत्र कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. उम्मेद सिंह आयु 33 वर्ष आत्मज स्व0 मनोहर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रोलाना तहसील सांगोद जिला कोटा हाल मुकाम गुर्जरों के मंदिर के पास मंगलपुरा, झालावाड ।
2. धापू बाई धर्म पत्नी स्व0 मनोहर सिंह जाति राजपूत निवासी – गुर्जरों के मंदिर के पास, मंगलपुरा झालावाड जिला झालावाड ।
3. सुधांशु सिंह (ना0 बा0) पुत्र स्व0 दिनेश सिंह जाति राजपूत निवासी जरिये वली माता स्वयं तंवर कंवर पत्नी स्व0 दिनेश सिंह निवासी झालावाड जिला झालावाड ।
4. नक्षराज सिंह (ना0बा0) पुत्र स्व0 दिनेश सिंह जाति राजपूत निवासी जरिये वली माता स्वयं तंवर कंवर पत्नी स्व0 दिनपेश सिंह निवासी झालावाड जिला झालावाड ।
5. तंवर कंवर धर्म पत्नी स्व0 दिनेश सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रोलाना हाल मुकाम – गुर्जरों के मंदिर के पास मंगलपुरा, झालावाड जिला झालावाड ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री धीरज कुमार जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 03.08.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.07.2017 के विरुद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रोलाना तहसील सांगोद की वादग्रस्त [illegible] जो प्रार्थना पत्र की मद नं0 02 में वर्णित है जिसमें सन् 1981 में पारिवारिक सहमति [illegible] प्रार्थी एवं अप्रार्थी कम 03 संयुक्त रूप में 2/5 हिस्सा पर काबिज काश्त है जिसे प्रार्थना पत्र की मद संख्या 06 में वर्णित है उसमें प्रार्थीण के कब्जे काश्त में अप्रार्थी क्रमांक 7 व 8 व उनके नौकर व एजेन्टर दौरान [illegible] किसी भी प्रकार से उन्हें हिस्से की आराजी से बेदखल नहीं [illegible] व उनके कब्जे काश्त [illegible] मदाखलत,

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwanti Jethwani
Date: 2021.01.06 14:01:54 IST
Reason: SelfAttested

...नत नहीं करें । इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण क्रम 7 ... के विरूद्ध पारित फरमाई जावे एवं अप्रार्थीगण क्रम 7 व 8 दौराने वाद राजस्व कर्मियों से ...लीभगत कर मृतक राजबाई के हिस्से पर अपना नाम दर्ज करवाकर वादग्रस्त आराजी में ...नेहित राजबाइ के 1/5 हिस्सा आराजी दौराने वाद खुर्द–बुर्द व विक्रय नहीं करे इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विरूद्ध अप्रार्थीगण क्रम 7 व 8 पारित फरमाई जावे ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 07.07.2017 के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करते हुए आगामी तारीख पेशी तक वादग्रस्त आराजी के मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया और पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 31.07.2017 नियत की गई ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त दिनांक 07.07.2017 से व्यथित होकर अप्रार्थी क्रम 08 चन्द्रकंवर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया है वह नेसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 पर रिपोर्ट होते ही बिना अपीलान्ट की तलबी जारी किये ही उक्त आदेश पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में रिपोर्ट होते ही बिना अपीलान्ट की तलबी के उक्त आदेश पारित कर दिया जो निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त आदेश पारित कर दिया जो निरस्तनीय है । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट को अपना पक्ष नहीं रखने दिया जो उसके संवैधानिक अधिकारों के हनन को दर्शाता है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.07.2017 निरस्त फरमया जावे ।

7. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी अपीलान्ट ने जो अपील प्रस्तुत की है वह दिनांक 07.07.2017 के आदेश [illegible] आगामी तारीख पेशी दिनांक 31.07.2017 नियत की हुई है । इस प्रकार अपीलाधीन आदेश अन्तरिम आदेश की परिभाषा में आता है जो आगामी तिथि तक ही प्रभावी है । अपील की मेन्टेनेबिलीटी पर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर की फुल बेंच के निर्णय आर.आर.डी. 2014 (1) पेज 409 के क्रम में परीक्षण किया गया । माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल की फुल बेंच ने निर्णय में यह निर्देश प्रदान किये गये हैं कि यदि अंतरिम स्थगन आदेश आगामी तिथि तक ही प्रभावी है तो उसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwanti Jethwani
Date: 2021.01.06 14:01:54 IST
Reason: SelfAttested

खिलाफ अपील मेन्टेनेबल नहीं होगी । ऐसे प्रकरणों में जिनमें अंतरिम स्थगन आदेश दावे के निर्णय तक प्रदान किया गया हो अथवा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 3 अथवा 3 ए की पालना नहीं की गई हो उन्हीं परिस्थितियों में अपील मेन्टेनेबल है । इन तथ्यों के आधार पर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल की फुल बेंच द्वारा प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में यह अपील मेन्टेनेबल नहीं है ।

8. अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज की जाती है । उभय पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.08.2018 को उपस्थित हों और अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह उभय पक्ष के उपस्थित होने की दिनांक से 30 दिन के अन्दर प्रकरण में विधि सम्मत निर्णय पारित करें ।

9. निर्णय आज दिनांक 03.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

3/8/18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwanti Jethwani
Date: 2021.01.06 14:01:54 IST
Reason: SelfAttested